न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 156/2021

प्रार्थी :–

1. अम्बाराम पुत्र खेताराम, जाति भील, निवासी सराणा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री करणसिंह सोंलकी प्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :– 6.08.2021

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत के पास कटान रास्ता खसरा न0 3045/138 मौजा मंडापुरा में आया हुआ है, इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 178 मौजा मंडापुरा से कटाण मार्ग खसरा नंबर 3045/138 मौजा मंडापुरा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1098/136 मौजा मंडापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा न0 1098/136 बिस्वा में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 30 फिट चौडा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/1324 दिनांक 28.07.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मंडापुरा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 178 के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु अ[illegible] खसरा नम्बर 1098/36 खातेदारी भूमि राजस्व रेक[illegible] प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि [illegible] की वर्तमान डी0एल0सी0 [illegible] 166680/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल र[illegible] 0–05 बीघा भूमि बनती है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मंडापुरा के खेत खसरा न0 178 जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 0–05 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा मंडापुरा के खसरा संख्या 178 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी खसरा न0 खसरा न0 178 मौजा मंडापुरा मे पटवार हल्का मंडापुरा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा 1098/136 भूमि में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल. सी रेट 1,66,680/ – प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 0–05 बीघा भूमि की राशि 41670/रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 83,340/– रूपये सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया

प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner